तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	15/07/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 17/07/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
17 07/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०	अप्रार्थी स० 01 की ओर से एड० श्री ओमप्रकाश सैनी ने पावर प्रश की। अप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। चूंकि प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/07/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
21 07/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० वास्ते आदेश प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 29/07/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
29 07/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०	प्रा० पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः वकील उभयपक्ष प्रा० पत्र का अवलोकन किया। बहस पर मनन करते, प्रा० पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, 13 एवं धारा 151 जा० दी० स्वीकार किया जाकर उनवानी प्रकरण मांगीलाल बनाम धन्नी को संख्या 184/2022 [signature]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रिसीवरी नियुक्ति में न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 17/10/2022 एवं एकपक्षीय निर्णय दिनांक 14/02/2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी (मूल प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 22) को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र फैसलशुदा होकर मूल प्रकरण के हमराह हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल प्रकरण दिनांक 07/08/2025 को पेश हो। 29.7 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 67/2025

प्रकरण निर्णय दिनांक 29.07.2025

उनवान

1. धर्मराम पुत्र झब्बू जाति माली निवासी मोटूका तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र मूल्या जाति माली निवासी मोटूका तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 07,13 एवं धारा 151 जा. दी. वास्ते अपास्त किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.10.2022 एवं एक पक्षीय निर्णय दिनांक 14.02.2025 अपास्त किये जाने बाबत

निर्णय दिनांक 29.07.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण जर्ये वकील श्री लीलाराम मीणा के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07,13 एवं धारा 151 जा. दी. वास्ते अपास्त किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.10.2022 एवं एक पक्षीय निर्णय दिनांक 14.02.2025 अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रकरण वादग्रस्त आराजी के कानून विभाजन हेतु वादी द्वारा मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड होकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई परन्तु प्रार्थी को आज दिन तक न्यायालय से कोई सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 17.10.2022 को प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध पर्याप्त तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आदेशिका दिनांक 17.10.2022 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। मिन प्रार्थी के विरुद्ध एंकपक्षीय कार्यवाही अदालत हाजा द्वारा करने अपने विरूद्ध करने की जानकारी नही रही और प्रार्थी ने जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 17.01.2023 को वादी के वाद का पेरा वाईज वादोत्तर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया जबकि वाद दायरी के समय वाद में मिन प्रार्थी के पिता पक्षकार रहे है प्रार्थी के पिता वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक को जारी करते हुये वाद के पक्षकारान को ताफैसला पाबन्द किया हुआ है दौराने स्थगन प्राथी के पिता की मृत्यु हो गई स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण मृतक के स्थान पर प्रार्थी का विरासत का नामान्तकरण नही खुल पाया और दावे के वादी ने प्रार्थी को रिसीवरी प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाते हुये एकतरफा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी को तहसीलदार बांदीकुई को रिसीवर नियुक्त किया गया है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मुलवाद दावा तकास्मा उनवानी मांगी लाल बनाम धन्नी वगै. का निर्णय हो चुका है। तथा न्यायालय के निर्णय की पालना में बांदीकुई ने राजस्व अभिलेख में अमल

दरामद कर दिया है। चूंकि मूलवाद का अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय रिसीवरी आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2025 को राजस्व कर्मचारी, पटवारी गिरदावर तहसीलदार बांदीकुई के आदेश पर वादगस्त आराजी को कब्जाराज मौके पर लेने गये तो प्रार्थी को उपरोक्त एकपक्षीय रिसीवरी की जानकारी हुई जेसे ही प्रार्थी को एकपक्षीय की जानकारी हुई तो यथाशीय बिना विलम्ब किये उक्त आदेश रिसीवरी वाद ग्रस्त आराजी से सम्बन्धित मूलवाद प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.10.2022 एवं एक पक्षीय आदेश रिसीवरी दिनांक 14.02.2025 को अपास्त करवाने हेतु अविलम्ब प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की शामिल की भूमि रही है उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को लेकर वाद के पक्षकारान ने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ कब्जेकाश्त को लेकर संघर्ष किया है जिसमें प्रार्थी के परिवार के जगदीश पुत्र छोटेलाल की सहखातेदारान वादीपक्ष ने नृसंश मृत्यु कारित कर दी। जिसका आपराधिक प्रकरण 395/2022 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय कम संख्या 1 के यहा विचाराधीन है। वादी पक्ष प्राथी व उसके परिवार को वादग्रस्त आराजी दर्ज हिस्से पर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त नही करने देते है। प्राथी व उसका परिवार शुरू से वादी व अन्य से भयभीत रहा है और अपने प्रकरणों की पैरवी समय पर नही कर पाया जिस कारण प्रार्थी की अनुपस्थित में एकपक्षीय आदेश रिसीवरी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को बिना सुने बिना जानकारी के पारित कर दिया गया है जो पूर्णरूपेण विधिक एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध है जो निरस्त किये जाकर प्रकरण में प्राथी को सुनवाई व पैरवी का समूचित अवसर दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी को प्रकरण में सुनवाई एवं पैरवी का अवसर नही दिया जाता तथा प्राथी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेशदिनांक 14.02.2025 को अपास्त नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति कारित होगी। और प्रार्थी अपनी पैतृक हक व अधिकारात की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी के विरूद्ध पारित एक पक्षीय विधि विरूद्ध आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक है प्रार्थी को एक पक्षीय आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2025 को होने व वादी के नाजायज दबाव भय के कारण समय पर नही हो पाई फिर भी मियाद सम्बन्धि कानूनी अडचन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विपरित प्रभाव न डाले इसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश माना जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.10.2022 एवं पक्षीय निर्णय दिनांक 14.02.2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी को रिसीवरी प्रार्थना पत्र में सनुवाई पैरवी, साक्ष्य, प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रकरण वादग्रस्त आराजी के कानून विभाजन हेतु वादी द्वारा मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड होकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई परन्तु प्रार्थी को आज दिन तक न्यायालय से कोई सम्मन नोटिस प्राप्त नही हुआ । दिनांक 17.10.2022 को प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण

a45

के विरूद्ध प्रर्याप्त तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई आदेशिका दिनांक 17.10.2022 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। मिन प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अदालत हाजा द्वारा करने अपने विरूद्ध करने की जानकारी नही रही और प्रार्थी ने जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 17.01.2023 को वादी के वाद का पेरा वाईज वादोत्तर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया जबकि वाद दायरी के समय वाद में मिन प्रार्थी के पिता पक्षकार रहे है प्रार्थी के पिता वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक को जारी करते हुये वाद के पक्षकारान को ताफैसला पाबन्द किया हुआ है दौराने स्थगन प्राथी के पिता की मृत्यु हो गई स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण मृतक के स्थान पर प्रार्थी का विरासत का नामान्तकरण नही खुल पाया और दावे के वादी ने प्रार्थी को रिसीवरी प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाते हुये एकतरफा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी को तहसीलदार बांदीकुई को रिसीवर नियुक्त किया गया है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मुलवाद दावा तकारस्का उनवानी मांगी लाल बनाम धन्नी वगै. का निर्णय हो चुका है। तथा न्यायालय के निर्णय की पालना में बांदीकुई ने राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर दिया है। चूंकि मुलवाद का अन्तिम रूप् से निस्तारण हो चुका है प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय रिसीवरी आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2025 को राजस्व कर्मचारी, पटवारी गिरदावर तहसीलदार बांदीकुई के आदेश पर वादगस्त आराजी को कब्जाराज मौके पर लेने गये तो प्रार्थी को उपरौक्त एकपक्षीय रिसीवरी की जानकारी हुई जेसे ही प्रार्थी को एकपक्षीय की जानकारी हुई तो यथाशीय बिना विलम्ब किये उक्त आदेश रिसीवरी वाद ग्रस्त आराजी से सम्बन्धित मूलवाद प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.10.2022 एवं एक पक्षीय आदेश रिसीवरी दिनांक 14.02.2025 को अपास्त करवाने हेतु अविलम्ब प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की शामिल की भूमि रही है उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को लेकर वाद के पक्षकारान ने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ कब्जेकाश्त को लेकर संघर्ष किया है जिसमें प्रार्थी के परिवार के जगदीश पुत्र छोटेलाल की सहखातेदारान वादीपक्ष ने नृसंश मृत्यु कारित कर दी। जिसका आपराधिक प्रकरण 395/2022 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय कम संख्या 1 के यहा विचाराधीन है। वादी पक्ष प्राथी व उसके परिवार को वादग्रस्त आराजी दर्ज हिस्से पर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त नहीं करने देते है। प्राथी व उसका परिवार शुरू से वादी व अन्य से भयभीत रहा है और अपने प्रकरणों की पैरवी समय पर नहीं कर पाया जिस कारण प्रार्थी की अनुपस्थित में एकपक्षीय आदेश रिसीवरी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को बिना सुने बिना जानकारी के पारित कर दिया गया है जो पूर्णरूपेण विधिक एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है जो निरस्त किये जाकर प्रकरण में प्राथी को सुनवाई व पैरवी का समूचित अवसर दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी को प्रकरण में सुनवाई एवं पैरवी का अवसर नही दिया जाता तथा प्राथी के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 14.02.2025 को अपास्त नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति कारित होगी। और प्रार्थी अपनी पैतृक हक व अधिकारात की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी के विरूद्ध पारित एक

Scanned with OKEN Scanner

पक्षीय विधि विरूद्ध आदेश को अपारत किया जाना आवश्यक है प्रार्थी को एक पक्षीय आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2025 को होने व वादी के नाजायज दबाव भय के कारण समय पर नही हो पाई। प्रार्थना पत्र यौम जानकारी दिनांक 04.06.2025 को होने के कारण अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस/सम्मन विधिवत की गयी। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से एड. श्री ओमप्रकाश सैनी उपस्थित आये। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जबाब पेश नहीं कर सीधे मूल प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस की गयी। हमने उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को माफ किया जाता है। न्यायालय द्वारा वकील उभयपक्ष बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गयी थी, जिसके लिफाफे भी वापिस प्राप्त नहीं हुए है न्यायालय द्वारा विधिवत तलबी की जाना प्रतीत होती है परंतु प्रार्थी अब सुनवाई का अवसर चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी को अपना पक्ष रखे जाने हेतु मौका दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07, 13 एवं धारा 151 जा. दी. स्वीकार किया जाकर उनवानी प्रकरण संख्या 184/2022 मांगीलाल बनाम धन्नी वगै. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रिसीवरी नियुक्ति में न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 17.10.2022 एवं एक पक्षीय निर्णय दिनांक 14.02.2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी (मूल प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 22) को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर मूल प्रकरण के हमफिता हो। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 29/7/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner